epaper
हिन्दुस्तान

केंद्र सरकार ने देश के कोने-कोने तक डिजिटल और आर्थिक सेवाएं पहुंचाने की योजना बनाई

राशन की दुकानों पर मिलेंगी वित्तीय सेवाएं

21/02/2022

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

केंद्र सरकार लंबे समय से समाज के अंतिम तबके तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राशन की दुकानों या फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) के जरिए देश के कोने-कोने तक डिजिटल और वित्तीय वित्तीय सेवाएं पहुंचाने को लेकर नई योजना पर काम कर रहा है।

मंत्रालय अगले एक वर्ष में पूरे देश में 10 हजार से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों को एफपीएस से जोड़ने की योजना बना रहा है। वर्तमान में करीब 8 हजार सीएससी राशन की दुकानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन में बदलाव किया जाएगा। इससे दुकान संचालनकों को कमाई के अतिरिक्त मौके मिलेंगे।

80 करोड़ लोगों को राशन वितरण

मौजूदा समय में देश में राशन की कुल 5.34 लाख दुकानें हैं। इन दुकानों के जरिए हर वर्ष 80 करोड़ से अधिक लोगों को 60 से 70 मिलियन टन अनाजों का वितरण हो रहा है। आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, एफपीएस पर हर महीने बड़ी संख्या में लोग राशन लेने जाते हैं। ऐसे में इन दुकानों पर अतिरिक्त आय पैदा करने की गुंजाइश है।

यह सेवाएं देते हैं सीएससी

वर्तमान में देश में 3 लाख से ज्यादा सीएससी कार्यरत हैं। इसमें आधार और पेन कार्ड का पंजीकरण, रेल टिकट की बुकिंग, गानों की डाउनलोडिंग, बैंक खाते के बैलेंस की जानकारी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तहत मंत्रालय की योजना सीएससी की कवरेज को बढ़ाकर 6 लाख गावों तक पहुंचाने की है।

10 लाख तक का मुद्रा लोन ले सकते हैं एफपीएस डीलर

06 लाख गांवों तक पहुंचेगा सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क

08 हजार सामान्य सेवा केंद्र अभी एफपीएस से जुड़े

10 हजार सीएससी को जोड़ा जाएगा एफपीएस से

तैयारी

सेवा देने वाले एफपीएस को मिलेगा कलर कोड

खाद्य मंत्रालय वित्तीय सेवाएं देने वाले एफपीएस को अलग कलर कोड देने की योजना पर काम कर रहा है। इससे इन एफपीएस की सार्वजनिक सेवाएं डिलिवरी पॉइंट के रूप में अलग पहचान हो सकेगी। साथ ही खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एफपीएस डीलर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन के जरिए एफपीएस डीलर आवश्यक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए भवन का निर्माण कर सकते हैं।